

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

कमांक एफ-5- 1 / 2017 / 1 / 8

भोपाल, दिनांक 07/02/2017

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग,
भोपाल।

विषय:- न्यायालयीन प्रकरणों में विभागों द्वारा अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखे जाने के संबंध में।

राज्य शासन द्वारा कई मामलों में यह पाया गया है कि विभागों द्वारा कर्मचारियों के संबंध में जारी किए गए कुछ आदेशों पर कर्मचारियों को न्यायालय से स्थगन प्राप्त हो जाता है। लम्बे समय तक स्थगन बने रहने से राज्य शासन के ऐसे आदेशों का पालन कराया जाना संभव नहीं हो पाता है।

2/ अतः भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए कि यदि किसी विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले किसी आदेश के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा न्यायालय में जाने की संभावना हो तो उसके लिए क्विेट दायर करने की कार्यवाही अथवा विधि अनुसार अन्य कार्यवाही पहले ही सुनिश्चित कर ली जाए तथा विभाग का पक्ष न्यायालय के सामने प्रभावी ढंग से रखा जाए ताकि न्यायालय द्वारा स्थगन दिए जाने की स्थिति उत्पन्न न हो।

3/ यदि कुछ मामलों में न्यायालय द्वारा स्थगन दे दिया जाए तो उस स्थिति में भी न्यायालय के समक्ष विभाग का पक्ष मजबूती से रखा जाए एवं स्थगन को शीघ्र समाप्त कराने का प्रयास किया जाए ताकि विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन कराया जा सके।

(स. ग. शर्मा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कमांक एफ-5-1 / 2017 / 1 / 8
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 07/02/2017

अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग, समस्त कक्ष की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु
अग्रेषित।



अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग